न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–44 / 2022 दायर दिनांकः 14.03.2022
GCMS NO:- 2022/174 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. राधेश्याम आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
2. भोलाशंकर आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
3. हेमराज आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी हाल नि0 मालियों के नोहरे के पास, छत्रपुरा बून्दी।
4. सुरेश आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि. बांसी हाल नि0 नवजीवन संघ कॉलोनी गेट नं0 3 के सामने वाली गली, सुभाष नगर, बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. अंजनी कुमार आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
2. अशोक कुमार आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
3. जगदीश प्रसाद शर्मा आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
4. भूमिधारी राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवा।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।
अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार ठाकौर।
अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 16.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बांसी प0म0 बांसी के खसरा नम्बर 2691, 487, 494, 496, 829, 830, 831 कुल किता 7 कुल रकबा 2.2327 हैक्टयर भूमि जो प्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 494 पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 4 मे वर्णित खसरा नम्बर 508, 499, 500, 493 की मेड के सहारे सहारे होता हुआ नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि तक पहुंचाता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। जिसको अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने ताकत के बल पर अवैध व अनाधिकृत रूप से बंद करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख मे 20 फीट चौडा करवाकर मौके पर रास्ता बहाल करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गए। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 19.10.2022 को रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर प्रत्यार्थीगण अधिवक्ता द्वारा इस आशय से आपत्ती पेश की गयी कि उनके अभिभाष्य को उक्त रिपोर्ट बनाते समय सूचना नही दी गयी तथा एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी जिस कम मे पुनः तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पुनः रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी जिसमे उनके द्वारा प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 494 मे जाने के लिए पूर्व मे ही खसरा नम्बर 490 मे जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 492 मे से धारा 251क के तहत् रास्ता दे रखा है जो नहर के सहारे बने रास्तों को जोडता है। नहर पर से रास्ता बनाये जाने पर उससे गुजर सकता है तथा खसरा नम्बर 494 खसरा नम्बर 492 से दिये रास्ते से लगता हुआ है।

बहस सूनी गयी। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीयान के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 494 पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 4 मे वर्णित खसरा नम्बर 508, 499, 500, 493 की मेड के

सहारे सहारे होता हुआ नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि तक पहुंचाता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। जिसको अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने ताकत के बल पर अवैध व अनाधिकृत रूप से बंद करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख मे 20 फीट चौडा करवाकर मौके पर रास्ता बहाल करवाने बाबत् निवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 487 व 496 प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है जो खसरा नम्बर 494 से अड रही है। खसरा नम्बर 487 के पूर्वी दक्षिणी काने की ओर अम्बे माता जी ओर जाने वाला रास्ता है जिसमे होकर ही प्रार्थीगण बरसों से आवागमन कर रहे है। इसके अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 492 जिसके रास्ते के नम्बर 3917/492 है जिसमे विधिवत रास्ता बना हुआ है जो खसरा नम्बर 492 के उत्तरी मेड पर और प्रार्थी के खाते की खसरा नम्बर 494 की दक्षिणी मेड पर बना हुआ है जिसको नक्शा ट्रेस मे भी दर्ज कर रखा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 492के उत्तरी मेड पर होकर अपने खाते की खसरा नम्बर 494, 496 व 487 मे आराम से पहुंच सकता है। प्रार्थीगण प्रत्यार्थीगण से रंजिश रखते है और प्रत्यार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से प्रत्यार्थीगण की जमीन को छीनने की गरज से बदनियति पूर्वक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्जा खारिज होने योग्य है।

हमने दोनों विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 494 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 490 जिसमे जाने के लिए पूर्व मे ही खसरा नम्बर 492 मे से रास्ता दिया जा चुका है, के लगता हुआ ही है जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। अतः प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 494 पर जाने के लिए पूर्व से ही रस्ता होने से अतिरक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा